IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# भारत में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित विधियॉ

श्रीमती दीपमाला जैतपुरी

शोधार्थी–विधि अध्ययनशाला

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

**सारांश–** इस शोध पत्र में मैने महिलाओं के सशक्तिकरण उनकी असमानता एवं स्वतंत्रता एवं भारतीय कानूनों की चर्चा की है। जब कभी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है तो हम पुरूष सशक्तिकरण की बजाए केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ही क्यों बात करते है महिलाओं को क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता है और पुरूषों को क्यों नहीं है? सम्पूर्ण विश्व में जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का है। भारत के संबंध में भी यही सत्य है कि आधी आबादी महिलओं की है। फिर भी समाज के इस बड़े हिस्से को सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? महिलाएं अल्पसंख्यक भी नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की विशेष सहायता की आवश्यकता हो। तथ्यों के आधार पर कहा जाए तो यह एक सिद्ध तर्क है कि महिलांए पुरूषों से हर कार्य में बेहतर है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की सोच न केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनके दुखदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केंद्रित करती है साथ ही यह पुरूषों को महिलाओं के संबंध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है। महिला सशक्तिकरण क्या है? साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें।

**शब्द कुंजी**– महिला सशक्तिकरण, असमानता, स्वतंत्रता, भारतीय कानून।

## महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है?

सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरूषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई। महिलाओं की आवाज को हर तरह से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरूषों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहारों का लक्ष्य है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सामाजिक न्याय और सतत विकास के सिद्धांतों की कमी के कारण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप की कड़ी आलोचना हुई है। वैश्वीकरण के आलोचकों का जोर इस बात पर है कि राज्य के कल्याणकारी उपायों और नीतिगत पहलों को वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव से समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करनी चाहिए।

एम. आर. बीजू[1] ने विकासशील समाजों में महिलाओं के रोजगार और कामकाजी परिस्थितियों पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच की हैं। उदारीकरण और निजीकरण की बयानबाजी और सामान्य रूप से कमजोर वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं पर उनके वास्तविक प्रभाव

पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना है कि असमान दुनिया में महिलाओं ने पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। अध्ययन यह व्यक्त करता है कि एक स्थायी और प्रगतिशील दुनिया सुनिश्चित करने के लिए उनके उत्थान और सशक्तिकरण की आवश्यकता हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से पांच कारण है–

- महिलाओं में आत्म–मूल्य की भावना।
- महिलाओं को उनके अधिकार और उनकों निर्धारित करने की स्वतंत्रता।
- समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार।
- घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का महिलाओं को अधिकार।
- समाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता।

## भारत का संविधान और महिला सशक्तिरण –

भारत के संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय का आश्वासन देती है। इसके अलावा यह व्यक्ति की स्थिति, बराबरी के अवसर और गरिमा की समानता भी प्रदान करती है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पुरूषों और महिलाओं को समान माना जाता है। भारत के संविधान निर्माता और हमारे राष्ट्र पिता दोनों महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने का प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न लेख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकारों की रक्षा करते है। महिलाओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और अन्य संवैधानिक प्रावधान कई तरह के विशेष सुरक्ष उपाय प्रदान करते है।

संविधान के अनुच्छेद– 14 में कानूनी समानता।

अनुच्छेद–15(3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना।

अनुच्छेद–16(1) में लोक संवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।

अनुच्छेद–19(1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद–21 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।

अनुच्छेद–23–24 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को ही शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है।

अनुच्छेद–25–28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्राप्त है।

अनुच्छेद–29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।

अनुच्छेद–32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

अनुच्छेद–39(घ) में पुरूषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्या के लिए समान वेतन का अधिकार।

अनुच्छेद–42 में महिलाओं हेतु प्रसुति सहायता की व्यवस्था।

अनुच्छेद–51(क)(ड) भारत में सभी लोग एंसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान के विरूद्ध हो।

अनुच्छेद–243(घ)(3) में प्रस्तावित 73 वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

अनुच्छेद–243(न)(3) में प्रस्तावित 74 वें संविधान संशोधन के जरिए नगर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ये संवैधानिक प्रावधान महिलाओं के लिए बहुत सशक्त है और राज्य का नीतिगत फैसले लेने के साथ–साथ कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना कर्तव्य है।

## भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के लिए कानून–

दहेज से जुड़े कानूनी प्रावधान– इसके अंतर्गत धारा 304(ब), 306 एवं 498

यौन अपराध एवं बलात्कार संबंधित कानून–

धारा– 354 किसी महिला की मर्यादा को भंग करना।

धारा– 354(ए) लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दण्ड।

धारा– 354(बी) विवसत्र करने के आशय से स्त्री पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा– 354(सी) दृश्यरतिकता।

धारा– 354(डी) पीछा करना

धारा– 375 बलात्संग।

धारा–376 बलात्संग के लिए दण्ड।

धारा– 376(ए) पीड़िता की मुत्यु या लगातार विकृतशीलता की दशा कारित करने के लिए दण्ड।

धारा 376 (बी) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथून।

धारा 376 (सी) प्रधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथून।

धारा 376 (डी) सामूहिक बलात्संग

धारा 376 (ई) पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड।

**छेड़खानी से संबंधित कानून–** धारा 509, 294 कोई भी शब्द इशारा या मुद्रा जिससे महिला की मर्यादा का अपमान हो।

कोई भी देश उन्नति पर तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उस देश की महिलाए कन्धे से कन्धा मिला कर ना चले। देश की तरक्की के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। एक बार जब महिला अपना कदम आगे बढ़ा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है और राष्ट्र का विकास होता है

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट कानून–

महिलाओं के लिए विशिष्ट कानूनो को बनाया गया है जो संसद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए लागू की गई थी–

- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- दहेज निषेध अधिनियम,1961

- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, 1986
- अनैतिक देह व्यापार अधिनियम,1956
- मातृत्व लाभ अधिनियम,1961
- गर्भावस्था अधिनियम,1971
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम,1987
- प्री–कॉन्सेशन एंड प्री–नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स विनियमन और निवारण अधिनियम,1994
- कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2013

उपर्युक्त और कई अन्य कानून है जो न केवल महिलाओं को विशिष्ट कानूनी अधिकार प्रदान करते है बल्कि उन्हें सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना भी प्रदान करते है। अन्य कानूनों में महिलओं के लिए कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय भी शामिल है–

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- बागान श्रम अधिनियम,1951
- बधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- कारखाना अधिनियम, 1948

## भारतीय सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीष्य प्रतिबद्धताएं–

भारत विभिन्न अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों से जुड़ा हुआ है जो महिलाओं के समान अधिकारो को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है –

- 1993 में भारत द्वारा अनुमोदित महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (सीडीएडब्ल्यू) पर सम्मेलन।
- मैक्सिको प्लान ऑफ एक्सन 1975
- नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटजीज 1995
- बीजिंग घोषणापत्र और प्लैटफॉर्म फॉर एक्शन 1995
- यूएनजी सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज
- 21 वीं शताब्दी के लिए लैंगिक समानता, विकास, शांति और आगे की कार्यवाहियों को लागू करनेके लिए ''बीजिंग घोषणापत्र''।

इन सभी को भारत के द्वारा उचित अनुवर्ती कार्यवाही के लिए पूर्ण समर्थन दिया गया है। इन सभी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, कानूनों और नीतियों के बावजूद महिलाआ की स्थिति में अभी भी संतोषजनक रूप से सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं से संबंधित समस्याएं अभी भी समाज में मौजूद है महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में महत्वपर्ण तरीके से कुछ सुधार हुआ है लेकिन यह परिवर्तन केवल महानगरों एवं शहरी क्षेत्रो तकं ही सीमित है और गांवों में अभी भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। यहअसमानता, शिक्षा और नौकरी के अवसरों की कमी और समाज की महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच ही मुख्य कारण है जो 21 वीं सदी में लड़कियों की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया जा रहा ।
महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं निम्न है–

- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।
- कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना।
- प्राधानमंत्री उज्जवला योजना।

- स्वाधार घर योजना।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट हो जात है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहॉ पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो। यह उम्मीद भी कि जाती है कि आगे आने वाले समय में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना, कस्तूरबा गॉधी बालिक विद्यालय योजना और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गॉधी योजना के सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आयेगें।

## निष्कर्ष–

भारत में महिलाएं अपने स्वयं के निरंकुश प्रयासों के माध्यम से तथा संवैधानिक और अन्य कानूनी प्रावधानों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहीं है। देश के सरकारी क्षेत्र में सामाजिक–राजनैतिक गतिविधियों में निजि क्षेत्र में उनकी भागीदारी और उच्चनिर्णय लेने वाली निकायों में महिलाओं की उपस्थिति दिन–प्रतिदिन सुधर रही है। इसलिए हमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में समाज के पुरूष वर्ग को शिक्षित और संवेदित करना है और उनके बीच एकजुटता और समानता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने भेदभावपूर्ण व्यवहारों को कमजोर वर्ग की ओर रोक दें। ''भारत शक्तिशाली राष्ट्र तभी बन सकता है जब यह वास्तव में अपने देश की महिलाओं को शक्ति
देता है।''

## सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1 डॉ. पाण्डेय जयनारायणः भारत का संविधान सेंट्रल लॉ ऐजेन्सी (2015)
2 डॉ. पाण्डेय मधु': महिलाए एवं अपराध विधिः सेंट्रल लॉ ऐजेन्सी (2012
3 वर्मा श्यामलाल विधि और सामाजिक परिर्वतन इण्डियॉ पब्लिशिंग कम्पनी (2015)
4 प्रो. मिश्र सूर्य नारायणः भारतीय दण्ड संहिता सेंट्रल लॉ ऐजेन्सी (2013)
5 डॉ. बाबेल बसन्ती लालः महिलाए एवं आपराधिक विधि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशनस (2015)
6 एम.आर.बीजू, वैश्वीकरण, लोकतंत्र और लिंग न्याय, नई सदी प्रकाशन, नई दिल्ली, (2012)